न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2729—पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26—11—2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू—राजस्व संहिता,1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4—8—14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त प्रकरण तहसीलदार द्वारा जिस सीमांकन आदेश दिनांक 25—6—14 के आधार पर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, उस आदेश को निगरानी प्रकरण कमांक 2457—पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 26—11—2014 के द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिवत निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, इसलिए इस प्रकरण में की जा रही कार्यवाही निरर्थक होने से निरस्त की जाती है । सीमांकन होने के पश्चात उभय पक्ष नये सिरे से संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	28.11.14 28.11.14

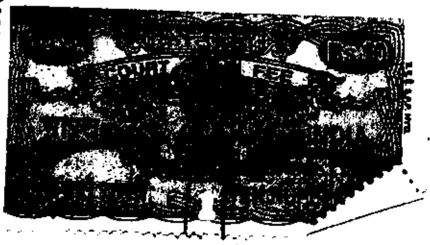

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर बेन्च भोपाल (म.प्र.)

R- 2729 - PBR/14

नन्दकिशोर मालवीय पुत्र के आर.मालवीय -- निगरानीकर्ता
निवासी ई-2/263 अरेरा कालोनी
भोपाल

विरुद्ध

राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. रामदास गुप्ता -- विपक्षी आनावेदक
निवासी-बी-72, शाहपुरा, भोपाल

श्री आर. एल. भंवानी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12.8.14 को भोपाल बेन्च पर प्रस्तुत।
G/m
12.8.14

<u>(निगरानी रा.प्र.क्र. 05/अ-70/ 2013-14) आदेश दिनांक 4.8.14 न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.) म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा 50 के अंतर्गत समयावधि प्रस्तुत)</u>